उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– ....वर्ष, 2025)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्रधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान–मण्डल द्वारा निम्नवत् रूप से यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/प्राधिकरणों पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 में "06 वर्ष" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहां–जहां वे आते हैं, "09 वर्ष" शब्द और अंक रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्याः 04, 2024) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित संशोधन किये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अध्यादेश, 2024" प्रख्यापित किया गया था।

2— प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Bill, 2025

(Uttarakhand Bill No. …….. of, 2025)

A

Bill

further to amend the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy Sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2025

(2) It shall extend to all the Urban Bodies/ Authorities of the State.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of section 4

2. In section 4 of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 for word and figures "06 years", wherever they occur, the word and figures "09 years" shall be substituted.

Repeal and saving

3. (1) The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Ordinance, 2024 (Uttarakhand Ordinance no.04 of 2024) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of object and reasons

State Government is commited for Reforms, Regulation, Rehabilitation and Rearrangement of slums situated in all urban bodies of Uttarakhand State, for this Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 has been enacted by State Government.

With the objectives to do a required amendment in section 4 of aforesaid Act, the "Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Ordinance, 2024" was promulgated.

2- Proposed bill is the replacing bill of said Ordinance.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Prem Chand Aggarwal
Minister